

न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा डूंगरपुर राज.

तारीख हुक्म	कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट नागेन्द्रसिंह बनाम महेन्द्र कुमार प्रकरण संख्या 141/2019 रे0फो0 सीआईएस नंबर 141/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक:- 05.07.2023 परिवादी नागेन्द्रसिंह मय अधिवक्ता श्री इंदुलाल पाटीदार के साथ उपस्थित। अभियुक्त/विपक्षी महेन्द्र कुमार पिता नाथु पाटीदार निवासी खांडिया थाना धंबोला जिला डूंगरपुर का जारीशुदा गिरफ्तारी वारन्ट मय जमीन जायदाद सूची, तस्दीक सरपंच, मौतबिरान व पटवारी की रिपोर्ट के साथ अदम तामील प्राप्त हुआ है। तामील कुनिन्दा जीतमल कानि. नंबर 820 पुलिस थाना धंबोला उपस्थित, जिसके बयान सी. डब्ल्यू 01 को लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त का जारीशुदा गिरफ्तारी वारंट प्रपी 01, पटवारी का प्रमाण पत्र प्रपी 02, तस्दीक सरपंच प्रपी 03, तस्दीक मौतबिरान प्रपी 04 है। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त महेन्द्र कुमार अत्यधिक लम्बे समय से इस प्रकरण में अपनी उपस्थिति से बचता फिर रहा है। प्रकरण पुराना है। इस न्यायालय द्वारा पुलिस थाना धंबोला को अभियुक्त महेन्द्र कुमार की उपस्थिति हेतु गिरफ्तारी वारन्ट जारी किया गया है। ऐसा प्रतित होता है कि अभियुक्त महेन्द्र कुमार अपनी उपस्थिति से बचने के लिये सकुनत से रूहपोश हो रहा है एवं प्रकरण में वांछित होने पर भी अपने आप को छिपाता फिर रहा है एवं न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। अभियुक्त के निकट भविष्य में अब मिलने की संभावना नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त महेन्द्र कुमार को इस प्रकरण में मफरूर घोषित किया जाता है। अभियुक्त महेन्द्र कुमार का स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होवे। जारीशुदा स्थायी गिरफ्तारी वारन्ट के पुलिस थाना धंबोला में दर्ज होने के आमद नं. अविलंब मंगवाये जावे। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 446 व 82-83 की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर विपक्षी/अभियुक्त महेन्द्र कुमार के स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी होने से मफरूर होने का नोट लगाया जावे एवं पत्रावली का कोई भी भाग न्यायालय की अनुमति के बिना नष्ट नहीं किये जाने का लाल स्याही से नोट लगाया जावे। पत्रावली मफरूरी में फेसलशुमार होकर बाद तकमीलान दाखिल दफतर होवे।  सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)	  